

①

Dr. Honey Sinha
(Assistant professor)
Dept. of Commerce
Sub: Financial Accounting
Paper: 1st

B. Com Part - 1st

SNSRKS COLLEGE SAHARSA

Introduction: Meaning of joint-Venture?
and how is it different from
Consignment?

(संयुक्त साहस से आशय और प्रेरण से
भिन्न)

* संयुक्त साहस एक प्रकार का अनस्थायी साझेदारी व्यापार होता है, जिसे दो या दो से अधिक व्यापारी मिलकर करते हैं। कभी-कभी एक व्यापारी किसी विशेष व्यापार अथवा कार्य से अधिक लाभ कमाने की आशा करता है, लेकिन अकेले वह उतना धन विनियोग नहीं कर सकता जितना उस व्यापार में आवश्यक है, या उस कार्य को पूरा करने के लिए जितनी लक्ष्यता की आवश्यकता होती है उतनी लक्ष्यता उसमें नहीं होती है या उस कार्य में संयोजकता बड़ी हानि की आशंका हो जिसे वह अकेले न सहन कर सके, तो इन सभी दशाओं में वह उस विशेष कार्य में दूसरे की सहायता लेता है और फिर दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं। इसी को संयुक्त साहस कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों में भी इसकी परिभाषा विभिन्न प्रकार से दी है जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं :-

जे० उदार० बॉटलीवाथ के अनुसार :- संयुक्त साहस व्यावहारिक रूप में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक साझेदारी है जो व्यापार के एक भाग या एक विशेष कार्य तक सीमित रहती है। संयुक्त साहस इन रूपों में से किसी भी रूप में हो सकता है। माल को चालान पर भोजना, अंशों में सहा करना, एक नये उद्यम के अंशों व ग्राहकों का अभिगोपन करना या अन्य कोई इसी प्रकार का कार्य करना।

इसी प्रकार प्रसिद्ध विद्वान पिकित्स ने इस संबंध में कहा है कि 'संयुक्त साहस सबसे अधिक उन कार्यों से प्रतीत होता है जो माल के चालान के संबंध में (जैसे - दिवालिया फर्म के स्टॉक को क्रय या विक्रय करना) या स्टॉक व अंशों के संबंध में होते हैं'।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संयुक्त साहस कि एक उचित परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, फर्म, कम्पनियाँ या अन्य संस्थारों संयुक्त जोखिम पर अस्थायी रूप से किसी कार्य को करने के लिए या माल का क्रय - विक्रय करने और इसके लाभ को समझौते के अनुसार बाँटने के लिए सहमत होते हैं तब इस प्रकार के साहस को संयुक्त साहस कहा जाता है और संयुक्त साहस का कार्य पूरा होने पर यह समाप्त हो जाता है।

संयुक्त साहस और प्रेषण में अंतर :-

(3)

* Difference between joint venture and Consignment

- ① अन्तर के आधार पर :- संयुक्त साहस में सभी संयुक्त साहसी संयुक्त साहस के माल के स्वामी होते हैं। जबकि प्रेषण में ही केवल एक ही प्रेषक माल का स्वामी होता है।
- ② प्रधान एवं प्रतिनिधि के सम्बन्ध के आधार पर :- संयुक्त साहस में सभी संयुक्त साहसी बराबर स्थिति के होते हैं। इनमें से कोई भी प्रधान एवं दूसरे का प्रतिनिधि नहीं होता है। जबकि प्रेषण में प्रेषक (consignment) प्रधान की स्थिति में और प्रेषी (consignor) प्रतिनिधि की स्थिति में होता है।
- ③ कार्यक्षेत्र के आधार पर :- यह माल लेचने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। जबकि प्रेषण में माल लेचने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जाता है।
- ④ पूँजी लगाना के आधार पर :- संयुक्त साहस के कार्य में लड़क्या सभी संयुक्त साहसी पूँजी लगाते हैं। जबकि प्रेषक के कार्य में प्रेषक द्वारा ही पूँजी लगायी जाती है।
- ⑤ साझेदारी के आधार पर :- संयुक्त साहस में साहसी

4

साझेदारी की स्थिति में होते हैं और यह एक तरह से अस्थायी साझेदारी मानी जाती है।

जबकि प्रेषण में यह अस्थायी साझेदारी के रूप में नहीं होता है। यद्यपि कभी-कभी प्रेषी को प्रेषण के लाभ में भाग दे दिया जाता है।

⑥ लाभ का बँटवारा के आधार पर :- संयुक्त साहसियों में लाभ का बँटवारा इसके लिए किये गये अनुबन्ध में निर्धारित अनुपात के अनुसार होता है। जबकि प्रेषक और प्रेषी में लाभ का बँटवारा नहीं होता है वरन् प्रेषी को कमीशन दिया जाता है और प्रेषण का सम्पूर्ण लाभ प्रेषक द्वारा लिया जाता है।

⑦ हानि का उत्तरदायित्व के आधार पर :- संयुक्त साहस में निर्धारित अनुपात में सभी संयुक्त साहसी हानियों का उत्तरदायित्व लेते हैं। जबकि प्रेषण में हानियों का उत्तरदायित्व केवल प्रेषक पर ही होता है।

⑧ विभिन्न अधिकार के आधार पर :- संयुक्त साहसी को माल के क्रय-विक्रय एवं इनसे संबंधित बहन आदि वसूल करने के अधिकार होते हैं। जबकि प्रेषण में प्रेषी को केवल वही अधिकार होते हैं जो प्रेषक द्वारा उसे दिया जाता है।

(9) लेखाकर्म की विधियाँ के आधार पर :- संयुक्त साक्ष के लिए कई प्रकार से लेखे रखे जाते हैं। जबकि प्रेषण में प्रेषी सम्बन्धी लेखे केवल एक ही प्रकार से रखे जाते हैं।

(10) अधिनियम के आधार पर :- संयुक्त साक्ष आपस अनुबन्ध पर चलाया जाता है अतः इसमें भारतीय अनुबन्ध की व्यवस्थाएँ लागू होती हैं। जबकि प्रेषण में प्रधान और एजेंसी के सम्बन्ध होते हैं। अतः इसमें एजेंसी सम्बन्धी धाराएँ लागू होती हैं।

(11) विक्रय विवरण के आधार पर :- संयुक्त साक्ष में बिक्री एवं लेन-देन के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाएँ एक दूसरे को दी जाती हैं। जबकि इसमें प्रेषण में प्रेषी के लिए बिक्री के सम्बन्ध में विक्रय विवरण बनाकर भेजना आवश्यक है।

The end

Dr. Honey Sinha
(Assistant professor)
Depto of Commerce
SNSRKS College
Saharsa